न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.19/अपील/2024 (GCMS No. 2024/76)	20.05.2024	15.10.2024

मोहम्मद अमजद आ. मोहम्मद अशरफ जाति मुसलमान,
निवासी 2–62 'क' स्वामी विवेकानन्द स्कूल के पास, छावनी कोटा

– अपीलान्ट

बनाम

1. हरलाल आ. धन्ना कौम बंजारा निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
3. नायब तहसीलदार, डाबी
4. उप पंजीयक, डाबी

– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 1 की ओर से श्री नवेद केसर लखपति, एडवोकेट।
रेस्पो.सं. 2, 3, 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने नायब तहसीलदार डाबी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 1564 दिनांक 10.01.2022 ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 की पालना में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 19/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/76 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये। पत्रावली पर पेश प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. दिनांक 15.07.2024 को स्वीकार किये गये। अपीलांट द्वारा पेश प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. बाद सुनवाई दिनांक 23.09.2024 को स्वीकार किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

तत्पश्चात बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबंदी संवत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी खाता संख्या नयी 445 पुराना 366 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1525/616 रकबा 1.6187 हैक्टेयर (10 बीघा) वाके ग्राम डाबी, जिला बून्दी में विस्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में रेस्पो.सं. 1 हरलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में हरलाल की गैर खातेदारी में दर्ज रही थी, इस दौरान ही आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने के उपरान्त भी आवंटी रेस्पो.सं.1 ने राजस्व मण्डल, अजमेर में धारा 9 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व मिथ्या आधारों पर पेश करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 03.12.2021 को गैर खातेदारी से खातेदारी का आदेश उक्त कृषि भूमि के बाबत करवा लिया। रेस्पो.सं.1 द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की प्रति संलग्न कर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2021 को रेस्पो.सं. 2 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पो.सं. 2 द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश में अंकित कब्जे संबंधी जांच व स्थगन आदेश की जांच किये बिना ही दिनांक 22.12.2021 को प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22.12.2021 की पालना में रेस्पो.सं. 3 द्वारा नामा.सं. 1564 दिनांक 10.01.2022 तस्दीक किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि का आवंटन रेस्पो.सं.1 के पक्ष में हुआ था किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई तथा आवंटनशुदा भूमि पर रेस्पो.सं. 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, अपितु वर्तमान में भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है तथा उक्त कृषि भूमि के समीप ही खनिज संभावित क्षेत्र की भूमि ख.सं.1522/616 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, ख.सं. 1527/616 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। इसके उपरांत भी रेस्पो.सं.3 द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना ही खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक करने की विधिक त्रुटि किये जाने से नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। अपीलांट का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहने के उपरान्त भी अपीलांट को बिना विधिक सूचना दिये एवं बिना सुनवाई किये ही हक व अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से रेस्पो.सं.1 को खातेदारी अधिकार दिये गये, जो विधि विपरीत कार्यवाही होने से निरस्तनीय है। माह अप्रेल 2024 में अपीलांट ने उक्त कृषि भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने व गैर खातेदार के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने का हल्का पटवारी से निवेदन किये जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलांट की जानकारी में आया। तब दिनांक 06.5.24 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त होते ही दिनांक 17.5.24 को अपील अवधि मध्य मय प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं. 1 ग्राम डाबी, तहसील तालेडा जिला बून्दी में कृषि भूमि खसरा सं.1525/616 रकबा 1.6187 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है, जो अपीलांट के जन्म से 7 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि पर करीब 52 वर्षो से गैर खातेदार कृषक के रूप में काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। अपीलांट का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा या किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, रेस्पो.सं.1 द्वारा उसके हित प्रभावित नहीं होने के बावजूद यह अपील खातेदार पर नाजायज दबाव बनाने की नीयत से पेश की गई है। जहां तक नामान्तरकरण संख्या 1564 का प्रश्न है तो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा हल्का पटवारी से मौका जांच करवाई गई। पटवारी हल्का से आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा होने, मौके पर भूमि खाली होने, आवंटन शर्तो की पालना किये जाने, स्थगन नहीं होने, भूमि विवादरहित होने, अनकमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं होने एवं खनिज संभावित क्षेत्र नहीं होने बाबत प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तालेडा द्वारा खातेदारी दिये जाने के आदेश दिनांक 22.12.2021 प्रदान किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 की पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किया गया। अपीलांट ने नायब तहसीलदार डाबी द्वारा दर्ज किये गये नामान्तरकरण की अपील पेश की है जबकि नायब तहसीलदार डाबी द्वारा कोई मूल आदेश पारित नहीं किया गया, अपितु राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03.12.2021 की पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.12.2021 की पालना की गई है। वैसे तो अपीलांट उक्त कृषि भूमि से किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उसे अपील पेश करने का अधिकार नहीं है फिर भी यदि उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो अपीलांट को राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। उक्त मूल आदेश की पालना में दर्ज किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा नायब तहसीदलार डाबी द्वारा दर्ज किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिसम्मत होने एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि ग्राम डाबी, तहसील तालेडा में विस्थित आराजी खसरा सं. 1525/616 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टेयर हरला पुत्र धन्ना जाति बंजारा की गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी, जो मुताबिक आदेश तहसीलदार तालेडा क्रमांक भू.अ./21/5622 दिनांक 22.12.2021 के आदेशानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 1564 दिनांक 05.01.2022 को दर्ज किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर

जिला कलेक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र सं.एल.आर./3190/2021 बून्दी बउनवान हरलाल बनाम राजस्थान सरकार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थी हरलाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा संख्या 616 रकबा 10 बीघा वर्तमान खसरा सं.1525/616 बाबत खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश तहसीलदार तालेडा एवं नायब तहसीलदार डाबी को प्रदान करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03.12.2021 को तहसीलदार तालेडा को आदेश प्रदान किये गये कि यदि विवादित भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ हो एवं वर्तमान में आवंटन आदेश अपास्त नहीं हुआ हो तथा मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त हो। इसके अतिरिक्त विवादित आराजी के कम में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही संस्थित नहीं की गई हो। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1976 में प्रार्थी को आवंटित की गयी विवादित आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 10 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 1525/616 रकबा 10 बीघा भूमि को प्रार्थी की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के उक्त आदेश की प्रति प्रार्थी हरलाल द्वारा तहसीलदार तालेडा को प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2021 को प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार तालेडा द्वारा पटवारी हल्का,डाबी को राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार रिकार्ड एवं मौकानुसार कब्जा काश्त बाबत रिपोर्ट पेश करने एवं गेर खातेदार/आवंटी का कब्जा नहीं होने पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवंटन खारिज किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने का आदेश दिनांक 14.12.2021 को प्रदान किया गया। पटवारी हल्का डाबी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान से कब्जा बाबत जानकारी की जाकर मौके पर गैर खातेदार का कब्जा होना बताये जाने, भूमि मौके पर खाली पडी होने, खनन संभावित क्षेत्र में नहीं होने की रिपोर्ट पेश की गई। जिसके आधार पर तहसीलदार तालेडा द्वारा दिनांक 22.12.2021 को विवादित भूमि पर गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने हेतु नामा0 दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में नायब तहसीलदार डाबी द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त होने की शर्त के अधीन आदेश प्रदान किया गया था, जबकि पटवारी हल्का, डाबी द्वारा मात्र ग्रामवासियों की जानकारी के आधार पर विवादित आराजी पर गैर खातेदार का कब्जा होना बताया है, जिसका दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कोई महत्व नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अपीलांट द्वारा अपील में यह भी आपत्ति दर्ज की गई है कि आवंटी ने राजस्व मण्डल, अजमेर में धारा 9 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों व मिथ्या आधारों पर पेश करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 03.12.2021 को गैर खातेदारी से खातेदारी का आदेश जारी करवा लिया है। इस संबंध में अपीलांट राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त निर्णय की सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। इस न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश में अंकित शर्तो की पालना नहीं की जाकर बिना मौका स्थिति की जांच किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट की सुनवाई की जानी है।

जहां तक कृषि भूमि पर कब्जा काश्त का प्रश्न है तो इसके लिए खसरा गिरदावरी अहम दस्तावेज है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2052 से 2055, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2060 से 2063, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2067, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2068 से 2071 में उक्त आराजी खसरा सख्या 616/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम डाबी ''पुरातन पड़त'' दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी संवत 2076 से 2079 में भी उक्त भूमि ''पड़त'' होना अंकित है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रमाणित होता है कि आवंटी गैर खातेदार हरला बंजारा का आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बून्दी द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम,1970 के तहत इस न्यायालय में पूर्व में पेश की गई कार्यवाही प्रकरण सं. 66/मुत0/2007 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का डाबी दिनांक 24.02.08 में अंकित है कि खसरा सं. 616 सम्पूर्ण रकबा 43.08 बीघा में वर्तमान में पत्थरों का कचरा व मलबें के छोटे ढेर पडे हुये है। मौके पर आवंटी हरला बंजारा का कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं है, न ही नक्शें में तरमीम हो रखी है, रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से माइनिंग लीज का उक्त खसरा नम्बर के हिस्से में चिन्हित किया जाना संभव नहीं है तथा आवंटी का कहीं पर भी कब्जा काश्त नहीं होने से गैर खातेदार हरला का हिस्सा चिन्हित किया जाना भी संभव नहीं है। उक्त खसरा सं. 616 के सम्पूर्ण रकबें में कहीं भी काश्त नहीं हो रही है, न ही काफी समय से काश्त होने के कोई निशानात है। इस प्रकार तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि आवंटी द्वारा वर्ष 2007 से पूर्व से ही आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है। रेस्पो.सं.1 की ओर से भी ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त प्रमाणित हो सके। इसके बावजूद तहसीलदार तालेडा द्वारा पटवारी हल्का डाबी की ग्रामवासियों की मौखिक जानकारी के आधार पर तैयार मौका रिपोर्ट को आधार मानकर गैर

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने बाबत आदेश दिनांक 22.12.2021 पारित किया गया, जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में उक्त आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण भी विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के मद्देनजर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1564 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.12.2021 की पालना में नये सिरे से नियमानुसार पूर्ण तथ्यों की जांच कर राजस्व मण्डल के आदेश में लिखित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुऐ पुनः स्पीकिंग आदेश जारी करें।

साथ ही यहां यह उल्लेख करना भी समीचीन है कि अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा होना भी प्रमाणित नहीं है और यदि उक्त विवादित आराजी के किसी हिस्से पर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो वह बिना विधिक अधिकार के मात्र अतिकमी की हैसियत रखता है। ऐसे अतिकमी के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी